कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0
संख्या– 22/11/ई–2/2025–26
प्रयागराजः दिनांक 04 जून, 2026

विज्ञप्ति

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ए–6/ई–1/2025 दिनांक 12–08–2025 के अन्तर्गत विज्ञापित **प्रवक्ता (पुरूष/महिला) राजकीय इण्टर कॉलेज (प्रा0) परीक्षा–2025 के 13 विषयों यथा–हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, उर्दू, गणित, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, नागरिक शास्त्र एवं रसायन विज्ञान की परीक्षा, दिनांक 14 जून, 2026 (रविवार) को एक सत्र में (पूर्वाह्न 09:30 बजे से 11:30 बजे तक) प्रदेश के 67 जनपदों यथा–**आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाँदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूँ, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हापुड़ (पंचशील नगर), हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, जे0पी0 नगर (अमरोहा), कानपुर देहात, कानपुर नगर, कांशीराम नगर (कासगंज), कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संभल (भीम नगर), संत कबीर नगर, संत रविदास नगर (भदोही), शाहजहांपुर, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर एवं वाराणसी में आयोजित की जानी है।

02–प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के **प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है।** अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के द्वारा प्रवेश–पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, **प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अन्तरीक्षक को आई0डी0प्रूफ0 की एक छाया प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।**

03– उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।"

(हर्ष देव पाण्डेय)
परीक्षा नियंत्रक।